ज्ञापांक 460/424229 /पी03

17–05–10/2018

पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, बिहार, पटना

सेवा में,

सभी अपर पुलिस महानिदेशक, बिहार।
सभी पुलिस महानिरीक्षक, बिहार।
पुलिस उप–महानिरीक्षक (कार्मिक), बिहार, पटना।
सभी पुलिस उप–महानिरीक्षक, बिहार।
पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (सैन्य पुलिस/प्रशिक्षण), बिहार।
सभी वरीय पुलिस अधीक्षक, बिहार।
सभी पुलिस अधीक्षक (रेल एवं इकाई सहित), बिहार।
सहायक निदेशक, बिहार पुलिस अकादमी, राजगीर।
सभी समादेष्टा, बिहार।
सभी प्राचार्य, सिपाही प्रशिक्षण केन्द्र, बिहार।

पटना, दिनांक :– 15.05.19

विषयः– **सिपाहियों को हिन्दी–टिप्पण प्रारूपण परीक्षा से विमुक्ति प्रदान करने के संबंध में।**

प्रसंगः– पुलिस मुख्यालय का ज्ञापांक–907/401921/पी03, दिनांक–18.12.2018 एवं ज्ञापांक–4879/पी02, दिनांक–21.10.2008 तथा गृह विभाग का पत्र संख्या–7225, दिनांक–23.07.2005।

निदेशानुसार उपरोक्त प्रासंगिक विषय के संबंध में कहना है कि गृह विभाग का पत्र संख्या–7225, दिनांक–23.07.2005 में राजभाषा विभाग द्वारा प्रदत्त परामर्श उल्लिखित है कि :–

" जहाँ तक आरक्षी और साक्षर आरक्षी जो वर्ग–3 के कर्मचारी घोषित हैं, अगर उन्हें अपने कर्त्तव्य सम्पादन के क्रम में टिप्पणी लिखना और प्रारूप तैयार करना पड़ता है, जिसमें रिपोर्ट (प्रतिवेदन) आदि भी शामिल है तो ऐसे कर्मियों को बिहार सरकार (हिन्दी परीक्षा) नियमावली, 15 जुलाई, 1968 के अनुसार हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त करना अनिवार्य है। "

चूँकि सिपाही को कर्त्तव्य सम्पादन के क्रम में टिप्पणी लिखना, प्रारूप तथा रिपोर्ट (प्रतिवेदन) आदि तैयार करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अतः उक्त परामर्श के आलोक में सिपाही को हिन्दी–टिप्पण प्रारूपण परीक्षा उत्तीर्ण होने की अनिवार्यता नहीं है, परन्तु वैसे सिपाही जो मैट्रिक/मध्यमा या समकक्ष उत्तीर्ण नहीं है उन्हें हिन्दी लिखने–पढ़ने की योग्यता परीक्षा पास करना अनिवार्य है।

C.No 138234/19
15.05.19

10/05/2019

अपर पुलिस महानिदेशक (मुख्यालय),
पंकज बिहार, पटना।

D:DRIVE/NIRAJ/PANKAJ JI/ABHYAVEDAN